राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान की दिनांक 17/12/2015 को आयोजित 127वीं बैठक के कार्यवृत्त

राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान की 127 वीं बैठक कार्यकारी निदेशक, बैंक ऑफ बड़ौदा श्री बी.बी. जोशी की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में डॉ. आलोक पाण्डे,निदेशक, वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, श्री अभय कुमार,आयुक्त, उद्योग, राजस्थान सरकार, श्री एस. के. शर्मा,सदस्य सचिव, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण,जयपुर, श्री अर्णव रॉय,क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिजर्व बैंक, श्रीमति सरिता अरोरा,मुख्य महाप्रबन्धक, नाबार्ड, श्री पल्लव महापात्र,मुख्य महाप्रबन्धक, भारतीय स्टेट बैंक, श्री बी.एस.जाट,संयुक्त सचिव, संस्थागत वित्त, राजस्थान सरकार तथा राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारीगण, भारतीय रिजर्व बैंक, नाबार्ड, विभिन्न बैंकों, बीमा कम्पनियों व वित्तीय संस्थाओं के कार्यपालकों / अधिकारियों द्वारा सहभागिता की गयी। **(संलग्न सूची के अनुसार)**

संयोजक, एस.एल.बी.सी., राजस्थान द्वारा बैठक के अध्यक्ष, मंचासीन गणमान्य सदस्यों एवं उपस्थित अन्य सभी सदस्यों का स्वागत किया गया तथा अध्यक्ष महोदय को उदबोधन हेतु आमंत्रित किया गया ।

बैठक के अध्यक्ष एवं कार्यकारी निदेशक, बैंक ऑफ बड़ौदा ने अपने उद्बोधन में बताया कि एस.एल.बी.सी., राजस्थान एक सक्रिय फोरम के रूप में कार्य कर रहा है जो कि बैंकों तथा विभिन्न हितग्राहियों के आपसी सक्रिय सहयोग से सम्भव हो पाया हैं। राजस्थान देश के तेजी से बढ़ते राज्यों में से एक हैं एवं उन्होनें राज्य में बैंकों के कार्यनिष्पादन पर प्रकाश डालते बताया कि राज्य में विभिन्न पैरामीटर्स यथा बैंक जमाएं, अग्रिम, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को प्रदत्त ऋण, कृषि, वार्षिक साख योजनांतर्गत प्रगति, CD Ratio, कमजोर वर्गों को प्रदत्त ऋण इत्यादि के तहत संतोषप्रद उपलब्धियां दर्ज की गई हैं। उनके उद्बोधन के सार बिन्दु निम्नानुसार रहे:-

- राज्य में CD Ratio लगातार 90% से अधिक रहा है, जो कि बेंचमार्क और राष्ट्रीय औसत से अधिक है इस बार भी CD Ratio 92.44% रहा हैं तथा जिन जिलों में CD Ratio 50% से कम है, वहाँ विशेष ध्यान देने की आवश्यकता पर जोर दिया।
- कुल बैंक व्यवसाय 17.39% वर्ष दर वर्ष (YOY) वृद्धि के साथ रू. 5,05,510 करोड़ रहा है जो कि corresponding अवधि में Industry Average से ज्यादा रहा हैं।
- कुल बैंक जमाएं 17.60% वर्ष दर वर्ष वृद्धि के साथ रू. 2,67,885 करोड़ रहीं हैं।
- कुल अग्रिम 17.16% वर्ष दर वर्ष वृद्धि के साथ रू. 2,37,625 करोड़ रहें हैं।
- राज्य में प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र में अग्रिम, कुल अग्रिम का 56.56% है जो कि प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र हेतु आवश्यक बेंचमार्क 40% से ऊपर हैं।
- कृषि अग्रिम भी कुल अग्रिम का 31.69% है जो कि कृषि क्षेत्र हेतु आवश्यक बेंचमार्क 18% से ऊपर हैं।
- कृषि अंतर्गत निवेश ऋण तथा पोस्ट हार्वेस्ट गतिविधियों हेतु ऋण की आवश्यकता पर विशेष बल दिया गया।
- वार्षिक साख योजना के तहत पिछले 3 वर्षों से उपलब्धि 100% से अधिक है जो कि सराहनीय हैं।
- राज्य में सामाजिक सुरक्षा योजनाओं (PMMJBY, PMSBY, APY) के तहत लगभग 47.79 लाख नामांकन अब तक होने से अवगत करवाया।

वित्तीय समावेशन अंतर्गत प्रधानमंत्री जन-धन योजना, सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के क्रियांवयन में बैंकों की भूमिका की सराहना करते हुए निम्न बिन्दुओं पर विशेष काम किये जाने की आवश्यकता दर्शाई गई:-

- ✓ प्रधानमंत्री जन-धन योजनांतर्गत खोले गये खातों में ओवरड्राफ्ट सुविधा स्वीकृत करना।
- ✓ शून्य बैलेंस खातों में निधिकरण (Funding)
- ✓ प्रधानमंत्री जन-धन योजनांतर्गत खोले गये खातों तथा सामाजिक सुरक्षा योजनांतर्गत किये गये नामांकन के अंतर को कम करना।
- ✓ बी.सी. लोकेशन की सक्रियता सुनिश्चित करना।

अध्यक्ष महोदय ने बताया कि एनपीए (**NPA**) की बढ़ती घटनाएं, बैंकों की लाभप्रदता को प्रभावित कर रही है, इस हेतु शाखाओं में वसूली का माहौल बनाने की सख्त आवश्यकता पर जोर दिया एवं राज्य में बैंकों द्वारा वसुली हेतु किये जा रहे प्रयास काफी सराहनीय बताए, किंतु सरकार प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत लगातार बढ़ रहे एन.पी.ए. स्तर को देखते हुए राज्य सरकार से राजस्थान पब्लिक डिमांड रिकवरी एक्ट, **1952** में संशोधन करने के सम्बन्ध में पुन: विचार करने हेतु अनुरोध किया। साथ ही उन्होनें सरफेसी अधिनियम के तहत बैंकों द्वारा सुरक्षित परिसम्पत्तियों (**Secured Assets**) का कब्जा प्राप्त करने हेतु जिला प्रशासन स्तर से वांछित सहयोग हेतु राज्य सरकार एवं राज्य विधिक सेवा से पधारे सदस्य सचिव से अनुरोध किया। उन्होनें बैंक ऋण से सम्बन्धित धोखाधडी के मामलों में एफ.आई.आर. / शिकायत दर्ज करने में पुलिस विभाग स्तर से वांछित सहयोग हेतु भी राज्य सरकार से अनुरोध किया।

अंत में उन्होने राज्य सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक, नाबार्ड, सदस्य बैंक व अन्य हितधारकों को आपसी सहयोग व समन्वय से राज्य के सतत विकास प्रक्रिया के उद्देश्यों की प्राप्ति पर धन्यवाद भी ज्ञापित किया।

इसके पश्चात विभिन्न कार्यसूची पर चर्चा प्रारम्भ की गयी ।

एजेण्डा क्रमांक –1 (1.1) विगत **126** वीं बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि की गयी ।

एजेण्डा क्रमांक –1 (1.2) कार्यवाही बिन्दु:

1. आवंटित उप सेवा क्षेत्रों में लगाये गये बैंक मित्र / कियोस्क की पूर्ण सूचनाएं यथा नाम, मोबाईल नम्बर, पता इत्यादि उपलब्ध करवाने हेतु :-

सदन को बताया गया कि राज्य में चिन्हित किये गए सभी 9406 उप-सेवा क्षेत्र (SSA) बैंक शाखा / बी.सी. के माध्यम से कवर किए जा चुके हैं, जिनमें से 7423 उप-सेवा क्षेत्र बी.सी. द्वारा कवर किये गये हैं।

बी.सी. द्वारा कवर 7423 उप-सेवा क्षेत्रों के सापेक्ष 7388 बी.सी. की सूचना प्राप्त हुई है। शेष 35 बी.सी. की सूचना निम्नानुसार प्राप्त होना बाकी हैं।
PNB-10, UCO Bank-12, Allahabad Bank-12, Kotak (ING Vysya Bank)-01

संयोजक, एस.एल.बी.सी. द्वारा उक्त पर असंतोष व्यक्त किया गया। तथा सम्बन्धित बैंकों को बी.सी. से सम्बद्ध उक्त सूचना राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति को **अगले शनिवार** अर्थात 26.12.2015 तक प्रेषित करने हेतु अनुरोध किया ।

(कार्यवाही - PNB, UCO Bank, Allahabad Bank, Kotak Bank)

2. ऑन-साईट ए.टी.एम. स्थापना:

सदन को अवगत करवाया गया कि राज्य में कार्यरत सार्वजनिक क्षेत्र की 4154 बैंक शाखाओं में से 3531 शाखाओं (85.00%), अन्य वाणिज्यिक बैंक की 861 शाखाओं में से 743 शाखाओं (86.29%), ग्रामीण बैंकों की 1331 शाखाओं में से 12 शाखाओं (0.90%), सहकारी बैंकों की 611 शाखाओं में से 02 शाखा (0.32%) में ही Onsite ATM की सुविधा उपलब्ध हैं।

अध्यक्ष, बडौदा राजस्थान ग्रामीण बैंक द्वारा सदन को अवगत करवाया गया कि ऑन-साईट ए.टी.एम. की स्थापना हेतु उनके बैंक द्वारा वक्रांगी के साथ टाईअप किया गया है तथा जनवरी 2015 तक 50 ऑन-साईट ए.टी.एम. स्थापित किये जाने के लक्ष्य से अवगत करवाया एवं उक्त 50 ऑन-साईट ए.टी.एम. की सफल स्थापना के बाद ही अन्य ए.टी.एम. स्थापित करने की कार्यवाही करने से सूचित किया ।

अध्यक्ष, राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक द्वारा अवगत करवाया कि उन्हे प्रायोजक बैंक के ग्रुप लीडर स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया से 290 ऑन-साईट ए.टी.एम. राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक की शाखाओं में स्थापित करने हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुआ है तथा 290 शाखाएं इस बाबत चिन्हित कर ली गयी हैं , 31 मार्च 2016 से पूर्व 290 ए.टी.एम. स्थापित कर लिये जायेगे ।

प्रतिनिधि को-ऑपरेटिव बैंक द्वारा गांवो में बी.सी. के माध्यम से लेन-देन किये जाने के बारे में अवगत करवाया।

निदेशक, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में बी.सी. के पास उपलब्ध संसाधनों के बारे में स्पष्टीकरण मांगा गया।

इस पर **प्रतिनिधि को-ऑपरेटिव बैंक** द्वारा सूचित किया गया कि वर्तमान में उनके 3000 बी.सी. कार्यरत हैं तथा उनके द्वारा बी.सी. को कम्पयूटर, पिन-पैड व MSR कार्ड रीडर उपलब्ध करवाये गये हैं तथा इन बी.सी. द्वारा प्रतिदिन लगभग रू 8.00 लाख के लेन-देन किये जा रहे है।

निदेशक, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सदन को बताया गया कि भारत सरकार द्वारा व्यापक जन-धन मिशन चलाया जा रहा है तथा लगभग 19.50 करोड़ लोगों के खाते खोले जा चुके है जिनमें से 11 करोड़ खाते ग्रामीण क्षेत्रों में खोले गये। यदि इन लोगों को नगदी आहरण की सुविधा उपलब्ध नही करवा पायेंगे तो खोले गये खातों का कोई फायदा नही होगा, इसलिए ये सुनिश्चित करना होगा कि ग्रामीण क्षेत्रों में ATM या Micro ATM स्थापित किये जायें तथा आधार एवं रूपे कार्ड Compiled मशीन गांवों मे Deploy कि जायें।

साथ ही सुझाव दिया कि शाखाओं पर पडने वाले अत्यधिक ग्राहक सेवा दबाव को कम करने के लिए रू 2000 से कम वाले लेन-देन बी.सी. Points पर Divert किये जा सकते है इससे बी.सी. की व्यवहार्यता बढेगी तथा बैंक की Cost भी कम हो जायेगी

प्रतिनिधि को-ऑपरेटिव बैंक ने बताया कि जो भी सर्विसेज Roll out की जानी है जैसे BCA की सर्विस (बैंक मित्र द्वारा दी जाने वाली सेवाएं), आधार, रूपे कार्ड, Cash at POS इत्यादि इसमें बैंको के जो भी सर्टिफिकेशन है उसमें NPCI द्वारा लगने वाला समय काफी ज्यादा है तथा NPCC एवं Data Center के अनुरूप ढांचा होने के बावजूद एक exercise सभी बैंको के लिए दोहराई जाती है, इसमें उदारीकरण की आवश्यकता बतलायी ।

निदेशक, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा उक्त मामला NPCI के साथ take up करने हेतु आश्वास्त किया गया ।

महाप्रबन्धक, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सदन को भारतीय रिजर्व बैंक के अग्रणी जिला अधिकारियों (LDOs)द्वारा अनुक्षेत्र (Field) की Visits के दौरान बी.सी. को मिलने वाले कम पारिश्रमिक तथा Field में कनेक्टिविटी की समस्या के बारे में अवगत करवाया है तथा कुछ मामलों बी.सी. अपनी लिंक शाखा में ही कार्य करते हुए मिलने तथा निर्धारित लेनदेन (Certain Transaction) से कम लेनदेन पर बहुत कम पारिश्रमिक मिलने के बारे में सदन का ध्यान आकर्षित किया ।

इसी सम्बन्ध में **उपमहाप्रबंधक, एस.बी.बी.जे.,** ने बताया कि बी.सी. जो कि 5-6 लेन-देन संव्यवहार ही महीने में कर पाते हैं को भी पूरा पारिश्रमिक देने हेतु भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जो सुझाव दिया गया है उससे उन बी.सी. पर विपरित प्रभाव पड़ता हैं, जो काफी अच्छा लेन-देन संव्यवहार करते है तथा कम/नगन्य कार्य करने वाले बी.सी. भी अच्छा कार्य करने वाले बी.सी. के बराबर पारिश्रमिक प्राप्त करने के हकदार हो जायेंगें।

डॉ. आलोक पाण्डे, निदेशक, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार ने स्पष्ट किया कि ऐसे बी.सी. जो कि 5-6 लेन-देन संव्यवहार ही करते हैं, को बैंक द्वारा बेहतर पारिश्रमिक कमाने हेतु प्रशिक्षण देने, उनका नेतृत्व करने तथा उचित मार्गदर्शन देने की आवश्यक्ता बतलायी एवं उन्होने बी.सी. को समय पर पारिश्रमिक देने पर भी जोर दिया। **(कार्यवाही – सभी सदस्य बैंक)**

3. Allotment of land to RSETIs Alwar & Bharatpur District and early resolution of the issue of land Conversion charges:

संयोजक, एस.एल.बी.सी. द्वारा राज्य सरकार से अलवर एवं भरतपुर RSETIs को शीघ्र भूमि आवंटन हेतु तथा भूमि रूपांतरण से सम्बंधित मामलों में शीघ्र कार्यवाही हेतु अनुरोध किया

(कार्यवाही: ग्रामीण विकास विभाग, राजस्थान सरकार)

4. To start functioning of RSETI Alwar

पंजाब नेशनल बैंक ने सूचित किया कि अलवर में R-Seti खुलना प्रक्रियाधीन हैं ।

(कार्यवाही: पंजाब नेशनल बैंक)

5. Amendment in PDR Act, to include the Banks` dues under Government Sponsored programs as State dues under the definition of Financial Assistance for enabling the Banks to recover their dues:-

आयोजना विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान पब्लिक डिमांड रिकवरी एक्ट, 1952 में संशोधन सम्बन्धित प्रस्ताव को राजस्व विभाग के ड्रॉप करने के निर्णय से अवगत करवाया गया। इस क्रम में बैठक के अध्यक्ष एवं संयोजक एस.एल.बी.सी. द्वारा सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं में बढते NPA को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार से एक्ट में संशोधन व पुन: विचार करने हेतु अनुरोध किया गया।

संयुक्त सचिव, संस्थागत वित्त, राजस्थान सरकार ने आज सांय 4 बजे मुख्य सचिव की राजस्व विभाग के साथ प्रस्तावित मिटिंग में उक्त मुद्दे को रखे जाने हेतु सदन को अवगत करवाया ।

(कार्यवाही: राजस्व विभाग एवं ग्रामीण विकास विभाग)

एजेण्डा क्रमांक - 2:

शाखा विस्तार: 30 सितम्बर, 2015 तक राज्य में कुल 6957 बैंक शाखाएँ कार्यरत हैं। वित्तीय वर्ष 2015-16 के छमाही के दौरान बैंकों द्वारा 153 शाखाएं खोली गई जिनमें से 125 (81.70%) शाखाएँ ग्रामीण व अर्धशहरी केन्द्रों पर स्थापित की गयी हैं।

संयोजक, एस.एल.बी.सी. ने बताया कि राज्य सरकार की अपेक्षानुसार चालू वित्तीय वर्ष में 534 नई शाखाएं खोली जानी थी अभी सितम्बर माह तक केवल 227 शाखाएं खोली गई है, प्रतिबद्धता स्तर से (Commitment Level) से कम शाखा खोलने वाले वाले बैंक निम्नानुसार हैं।

देना बैंक (16), पंजाब & सिंध बैंक (13), इंडियन ओवरसीज बैंक (9), आंध्रा बैंक (5), फेडरल बैंक (4), आई.सी.आई. सी.आई. बैंक (3), राज. को-ऑपरेटिव बैंक लि. (3), यूको बैंक(3), कोर्पोरेशन बैंक (2), विजया बैंक (2), स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया (1)

संयोजक, एस.एल.बी.सी. द्वारा उक्त बैंकों से कम शाखा खोलने के कारणों से अवगत करवाने हेतु अनुरोध किया गया।

सहायक महाप्रबंधक, देना बैंक द्वारा अवगत करवाया गया कि दिसम्बर माह मे उनके द्वारा 3 शाखाएं खोली जा चुकी है, चूंकि उनके बैंक द्वारा नई शाखा खोलना Restrain (मनाही) कर रखी है अतः चालू वित्तीय वर्ष में शेष बची 16 शाखाएं खोल पाना सम्भव नही हो पायेगा।

उपमहाप्रबन्धक, पंजाब एवं सिंध बैंक ने बताया कि उन्होने शाखा विस्तार की अनुमति हेतु कॉर्पोरेट ऑफिस को प्रस्ताव भेजा हुआ हैं तथा कॉर्पोरेट ऑफिस से शाखा नही खोलने हेतु निर्देश प्राप्त हुए है। मार्च 2016 तिमाही में बैंक द्वारा 2 शाखाएं खोल दी जायेगी ।

क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिजर्व बैंक ने प्रतिबद्धता स्तर से (Commitment Level) से कम शाखा खोलने वाले बैंको से अनुरोध किया कि **शाखा विस्तार हेतु प्लॉन, रोडमैप एवं शाखा खोलने की समय सीमा तय कर** तद्नुसार एस.एल.बी.सी. को सूचित करें तथा उक्त अंतर को कम करने का रोडमेप से एस.एल.बी.सी. को सूचित करें।

संयोजक, एस.एल.बी.सी. ने पंजाब एवं सिंध बैंक एवं देना बैंक द्वारा शाखा विस्तार में रहे Back log के सम्बन्ध में उक्त शाखाएं अगले वित्तीय वर्ष में **खोली जायेगी अथवा नही** के सम्बन्ध में कॉर्पोरेट ऑफिस से स्पष्टीकरण लेने हेतु उक्त दोनो बैंको से अनुरोध किया।

(कार्यवाही – देना बैंक,पंजाब & सिंध बैंक एवं अन्य बैंक)

जमाएँ व अग्रिम: सितम्बर 2015 को राज्य में 17.60% वर्ष दर वर्ष वृद्धि के साथ कुल जमाएँ रूपये 2,67,885 करोड़ तथा 17.16% वर्ष दर वर्ष वृद्धि के साथ कुल ऋण रूपये 2,37,625 करोड़ रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय ने बताया कि राज्य में कुल जमा एवं अग्रिम की वर्ष दर वर्ष (YOY) वृद्धि सराहनीय रही हैं एवं अग्रिम एवं जमाओं में वर्ष दर वर्ष (YOY) वृद्धि के **Industry Average** से ज्यादा होने के बारे में भी अवगत करवाया।

निदेशक, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार ने चर्चा मे भाग लेते हुए कहा कि उक्त डाटा गलत प्रतीत होता है क्योंकि जब सभी बैंक क्रेडिट उठाव (credit offtake) होने से मना करते है तो अग्रिम में बढ़ौतरी कैसे संभव हैं।

उपमहाप्रबन्धक, एस.बी.बी.जे. ने बताया कि कृषि तथा सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों द्वारा ही वृद्धि परिलक्षित हो रही हैं।

संयोजक, एस,एल.बी.सी. द्वारा भी कृषि तथा सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों द्वारा वृद्धि परिलक्षित होने पर सहमति दर्शायी गयी।

क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिजर्व बैंक ने आगामी एस.एल.बी.सी. में वर्ष दर वर्ष बैंक वार एवं क्षेत्र वार (Sector Wise) तुलनात्मक शीट (जमाएँ व अग्रिम) दर्शायी जाने हेतु निर्देशित किया जिससे की बैंक वार समीक्षा की जा सकें ।

प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को ऋण: प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को प्रदत्त कुल ऋण रूपये 1,34,395 करोड़ रहा जो कुल अग्रिम का 56.56% रहा है।

राज्य में कुल अग्रिमों का **कृषि क्षेत्र को अग्रिम** 31.69%, **कमजोर वर्ग** को 18.24% रहा है जो कि निर्धारित बैंचमार्क से अधिक है। **अल्पसंख्यक समुदाय** को प्रदत्त ऋण प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र का 7.96% रहा है।

साख जमा अनुपात (CD Ratio): सितम्बर, 2015 को राज्य में साख जमा अनुपात 92.44% रहा जो कि सर्वश्रेष्ट प्रतीत होता हैं। जिला स्तर पर 29 जिलों का साख जमा अनुपात 50% से अधिक रहा, वहीं चार जिलों यथा डूंगरपुर, राजसमन्द, सिरोही व उदयपुर में यह अनुपात क्रमशः 43.87%, 42.81%, 47.16% व 48.49% रहा है।

क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा इन जिलों में साख जमा अनुपात 50% से कम होने के साथ-साथ लगातार घटने पर चिंता व्यक्त की गई तथा बताया कि पिछली मिटिंग में साख-जमा अनुपात वृद्धि में आ रहे अवरोधकों, कारणों के विश्लेषण हेतु एस.एल.बी.सी. के तत्वाधान में एक कमेटी गठित किये जाने का निर्णय हुआ था। उन्होने बताया कि दिनांक 04/11/2015 को माननीय मुख्यमंत्री महोदया द्वारा RBI एवं बैंको की मिटिंग के दौरान भी उक्त जिलों के साख जमा अनुपात पर चिंता व्यक्त की गयी थी।

संयोजक, एस.एल.बी.सी. ने बताया कि साख जमा अनुपात पर कार्य योजना, रिपोर्ट एवं आवश्यक सूचनाओं के बारे में चर्चा करने के लिए दिनांक 02/12/2015 को एक बैठक का आयोजन किया गया था जिसमें निम्न निर्णय लिये गये थे:-

1. समिति द्वारा संबंधित जिलों में अध्ययन दिनांक **31/12/2015** तक पूरा कर लिया जायेगा।
2. समिति द्वारा रिपोर्ट दिनांक **15/01/2015** तक तैयार कर ली जायेगी।
3. एस.एल.बी.सी को विश्लेषण रिपोर्ट दिनांक **31/01/2015** तक का प्रस्तुत कर दी जायेगी।

वार्षिक साख योजना के तहत प्रगति: वार्षिक साख योजनांतर्गत वर्ष 2015-16 हेतु निर्धारित लक्ष्यों (वार्षिक) के सापेक्ष सितम्बर माह तक की उपलब्धि 52% रही। विभिन्न उप क्षेत्रों के तहत कृषि में 47%, सूक्ष्म व लघु उघम क्षेत्र में 71%, अन्य प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र में 52 % की उपलब्धि दर्ज की गई।

(कार्यवाही –स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर एवं बैंक ऑफ बडौदा)

एजेण्डा क्रमांक – 3-

Roadmap for covering all unbanked villages of population below 2000:

सदन को अवगत करवाया गया कि 2000 से कम आबादी वाले 35086 बैंक रहित (Unbanked) गांवों को मार्च 2016 तक कवर करने का लक्ष्य था, जिसके सापेक्ष सितम्बर 2015 तक 34666 गांव कवर कर लिये गये हैं। कवर किये गये गांवों में से 268 गांव शाखा खोले जाकर तथा 34398 गांव बी.सी. मॉडल के माध्यम से कवर किये गये हैं तथा आवंटित सभी 35086 गांव बैंको द्वारा अक्टूबर में कवर कर लिये गये है व तदानुसार भारतीय रिजर्व बैंक को सूचित कर दिया गया हैं।

निदेशक, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा बी.सी. मॉडल की कार्यशीलता पर चिंता व्यक्त करते हुए बी.सी. को कार्यशील बनाने हेतु प्रर्याप्त संसाधन तथा प्रशिक्षण की आवश्यकता दर्शाई।

क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिजर्व बैंक ने भी बी.सी. मॉडल की कार्यशीलता पर चिंता व्यक्त की गई तथा **बी.सी. की सक्रियता** को जाचनें हेतु एस.एल.बी.सी. के तत्वाधान में एक कमेटी गठित किये जाने हेतु अनुरोध किया। उन्होने बताया कि उक्त कमेटी का उद्देश्य दोषारोपण (Fault Finding) न होकर अपितु बी.सी. कार्यपद्धति में आ रही बाधाओं का पता लगाना एवं उन्हे दूर करने हेतु आवश्यक उपाय सुझाना होगा। साथ ही सुझाव दिया कि उक्त कमेटी में भारतीय रिजर्व बैंक तथा नाबार्ड के प्रतिनिधियों को भी शामिल किया जाये।

निदेशक, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार ने बी.सी. सक्रियता एवं जमीनी हकीकत (Ground Realities) का पता लगाने हेतु सर्व प्रथम बी.सी. की सम्पूर्ण सूचना, जैसे नाम, पता, मोबाईल नम्बर, फोटो, इत्यादि को एकत्र करने का सुझाव दिया जिससे कि बी.सी. सक्रियता का पता लगाया जा सकें। उन्होने सुझाया जैसा कि राज्य में 9900 ग्राम पंचायते है इनकी पंचायत वार मैपिंग कर राज्यमें कार्यरत बैंकों के प्रतिनिधियों द्वारा उक्त पंचायतों की विजिट कर बी.सी. सक्रियता का पता लगाया जा सकता हैं।

परियोजना निदेशक, राजस्थान ग्रामीण आजिविका विकास परिषद, राजस्थान सरकार ने बताया कि Ground Level पर इनके स्वयं सहायता समूह अच्छा कार्य कर रहे है साथ ही उन्होने उक्त उप समिति मे सचिव, ग्रामीण विकास को सदस्य/अध्यक्ष बनाने हेतु अनुरोध किया ।

संयोजक, एस.एल.बी.सी. द्वारा इस सम्बन्ध में सचिव, ग्रामीण विकास की अध्यक्षता में भारतीय रिजर्व बैंक, नाबार्ड, एस.एल.बी.सी. एवं DCC संयोजक बैंक के सदस्यों की एक उप समिति का गठन किया जाना प्रस्तावित किया तथा उक्त समिति द्वारा आगामी एस.एल.बी.सी. मिटिंग से पूर्व बी.सी. की सक्रियता तथा बी.सी. सम्बंधित जमीनी हकीकत (Ground Realities) का अध्ययन (Study) एवं विश्लेषण कर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने से अवगत करवाया।

सदन के समक्ष राज्य सरकार द्वारा सभी ई-मित्र (e-mitras) केंद्रों को कॉ-आपरेटिव बैंक के बी.सी. में परिवर्तित (Converting) करने का मामला रखा गया। साथ ही बताया गया वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा CSC को बैंकों के बी.सी. बनाने हेतु जारी दिशा-निर्देशों की अनुपालना में अधिकांश बैंकों द्वारा काफी CSC / ई-मित्र केंद्रों को बैंक का बी.सी. बनाया जा चुका है तथा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बी.सी. मॉडल पर जारी दिशा-निर्देशों "while a BC can be a BC for more than one Bank, at the point of customer interface, a retail outlet or a sub-agent of BC shall represent and provide banking services of only one Bank" के मद्देनजर राज्य सरकार द्वारा जारी उक्त दिशा-निर्देशों की प्रासंगिकता पर चर्चा की गई।

प्रतिनिधि, सूचना प्रौघोगिकी विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा सूचित किया गया कि उनके ई-मित्र Individual बी.सी. नही हैं।

उपमहाप्रबंधक, एस.बी.बी.जे. ने चर्चा मे भाग लेते हुए बताया कि ऐसी ग्रामपंचायत/ ग्राम/ जगह (**location**) जहॉ पर बी.सी. पहले से ही सक्रिय हैं वहॉ पर ई-मित्र को अतिरिक्त बी.सी. बनाना सही प्रतीत नही होता है इससे पहले से ही सक्रिय बी.सी. की कार्यक्षमता पर प्रभाव पडता हैं।

निदेशक, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार ने स्पष्ट किया कि ग्रामपंचायत में एक से अधिक बी.सी. लगा सकते है, शाखा भी खोल सकते है,चाहे वहां पर बी.सी. पहले से ही सक्रिय हैं। उन्होने बताया कि बी.सी. मॉडल Incentive bases मॉडल है तथा जो बी.सी. अच्छा कार्य करेगा वो survive कर पायेगा।

निदेशक, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार ने जनधन योजना के छः पिलरों से सदन को अवगत करवाते हुए बताया कि वित्तीय साक्षरता जनधन योजना का एक बहुत महत्वपूर्ण पिलर है एवं एस.एल.बी.सी. के तत्वाधान में वित्तीय साक्षरता केन्द्रो (FLCs) एवं बैंक शाखाओं के माध्यम से सरकारी व गैर सरकारी ITIs, वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोजेक्ट्स (VTPs) और ऑपरेशनल centers (OCS) जैसे कौशल विकास केन्द्रो मे वित्तीय साक्षरता का प्रचार प्रसार करने पर जोर दिया । उन्होने रूपे कार्ड Activation में सुधार हेतु शाखावार मिटिंग की आवश्यकता दर्शायी

निदेशक, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार ने मुद्रा योजना के अन्तर्गत राज्य की प्रगति (41%) पर असंतोष व्यक्त करते हुए लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु प्रयासों को चौगुना करने की आवश्यकता बतलायी तथा मुद्रा योजना के क्रियांवयन हेतु आज प्रातः आयोजित मुद्रा समीक्षा बैठक के दौरान SBBJ की अध्यक्षता में, **SIDBI एवं अन्य बैंको** की एक उप समिति के गठन होने के बारे में अवगत करवाया तथा उक्त समिति के माध्यम से राज्य में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की प्रगति की समीक्षा हेतु नियमित बैठकों के आयोजन हेतु निर्देशित किया तथा पात्र व्यक्तियों को मुद्रा योजनान्तर्गत ऋण उपलब्ध करवाने हेतु बल दिया गया ।

क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिजर्व बैंक ने बताया की आर-सेटी को केवल कौशल विकास ही नही करना है अपितु प्रशिक्षणार्थियों की समुचित handholding करना, उन्हे बैंकों से स्वरोजगार हेतु मुद्रा योजनांतर्गत ऋण उपलब्ध करवाने में सहायता करना जैसे कार्य भी करने है तथा मुद्रा योजनान्तर्गत आर-सेटी की भूमिका को स्वरोजगार प्रदान करने एवं कौशल विकास के लिए सक्षम एवं समर्पित बुनियादी ढांचा बताया एवं वित्तीय साक्षरता की महत्ती भूमिका पर प्रकाश डालते हुए वित्तीय साक्षरता केन्द्रों की समुचित monitoring पर बल दिया गया तथा FLCs की कार्यशीलता बढाने हेतु अनुरोध किया ।

आयुक्त, उद्योग ने रिसर्जेंट राजस्थान के दौरान एस.एल.बी.सी. की भूमिका को सराहनीय बताया तथा अन्य बैंकों के सहयोग की भी सराहना की। उन्होने भामाशाह रोजगार सृजन योजना के दिनांक 13.12.2015 से लागू होने तथा इस योजना के प्रधानमंत्री मुद्रा योजना से related होने के बारे में अवगत करवाया । योजनांतर्गत राज्य के लिए 11000 इकाईयों को नया उद्यम स्थापित करने पर 4 प्रतिशत ब्याज अनुदान स्वीकृत करने की जानकारी दी एवं अनुदान "**पहले आओ पहले पाओ**" के आधार पर स्वीकृत किये जाने के बारे में सदन को अवगत करवाया, साथ ही उन्होने मुद्रा योजना की उप समिति में प्रतिनिधि,उद्योग को भी शामिल करने हेतु अनुरोध किया गया।

उन्होने बताया कि नये उद्यम जिन्हे दिनांक 13.12.2015 के पश्चात मुद्रा योजनांतर्गत ऋण प्रदत किया गया है तथा जो योजना की अन्य शर्तों की भी पालना करते है वे भामाशाह रोजगार सृजन योजनान्तर्गत अनुदान प्राप्ति हेतु पात्र होंगे।

उन्होने मुद्रा ऋण आवेदन हेतु एक पोर्टल डिजाइन करने हेतु अनुरोध किया जिससे ऋणी On-line आवेदन कर सकें तथा प्रणाली एकीकरण (system integration) की आवश्यकता दर्शायी साथ ही उन्होने बताया कि राजस्थान सरकार का DoIT विभाग इस कार्य को करने हेतु सहमत हैं बैंकों के स्तर पर समन्वय की आवश्यकता है।

निदेशक, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार ने इस बाबत SBBJ को सूचना प्रौद्योगिकी विभाग (DoIT) के साथ समंवय कर पोर्टल डिजाइन करने हेतु अनुरोध किया।

प्रतिनिधि, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग ने लगभग 7 दिनों मे ऐसा पोर्टल डिजाइन करने पर सहमति दर्शायी।

प्रतिनिधि, उद्योग ने सम्बन्धित अग्रणी जिला प्रबन्धकों को जिला स्तर पर भामाशाह रोजगार सृजन योजना के प्रदत लक्ष्यों को बैंक शाखाओं में वितरित करने तथा बैंकों के नियंत्रक कार्यालयों से शाखाओं को इस बाबत समुचित दिशा-निर्देश प्रदान करने हेतु अनुरोध किया।

संयोजक, एस.एल.बी.सी. ने आयुक्त, उद्योग से भामाशाह रोजगार सृजन योजना के अन्तर्गत शाखाओं द्वारा अनुदान प्राप्त करने के लिए फोर्मेट एवं प्रक्रिया के बारे में सूचित करने हेतु अनुरोध किया।

आयुक्त, उद्योग ने वोकेशनल ट्रेनिंग संस्थान व ITI की FLCs के साथ Mapping के सम्बन्ध में MSME की एक नवीन प्रक्रिया एवं उदभव केन्द्र (Innovation & Incubation) योजना के बारे में अवगत करवाया गया तथा सूचित किया कि जिले स्तर पर जो ITI coordinating है वो Innovation Centre के रूप मे जाने जाकर इनमे रूपये 1 करोड तक की Grant आयेगी तथा ये वित्तीय साक्षरता हेतु अच्छे केन्द्र बनेंगे तथा बैंक RSETI / RUDSET में इन मशीनों को उपलब्ध करवाने हेतु उघोग विभाग के माध्यम से भारत सरकार से प्रस्ताव पारित कर मंगवा सकते है लेकिन वहां स्टॉफ एवं प्रशिक्षण की समुचित व्यवस्था होनी चाहिये।

मुख्य महाप्रबंधक, नाबार्ड ने कनेक्टिविटी की समस्या वाले उप सेवा क्षेत्रों (SSA) में कियोस्क एवं फिक्स्ड सी.एस.पी केंद्रों पर नाबार्ड द्वारा एफ.आई.एफ. के तहत सौर ऊर्जा चालित V-SAT उपलब्ध करवाने की योजना के बारे में सदन को अवगत करवाया गया तथा सभी बैंकों से कनेक्टिविटी की समस्या वाले उप सेवा क्षेत्रों की सूची उपलब्ध करवाने हेतु अनुरोध किया।

संयोजक, एस.एल.बी.सी. ने बताया कि **बिना कनेक्टिविटी वाले क्षेत्र** जो कि वित्तीय सेवाएं विभाग द्वारा दी गयी सूची का हिस्सा नही हैं, **उन उप सेवा क्षेत्र** (SSA) **में कनेक्टिविटी नही होने का** प्रमाण पत्र एस.एल.बी.सी. द्वारा दिया जाना है, इस हेतु **उप सेवा क्षेत्र** (SSA) **में** कनेक्टिविटी नही होने का प्रमाण पत्र एवं अन्य सम्बंधित फोर्मेट से एस.एल.बी.सी. को उपलब्ध करवाने नाबार्ड से अनुरोध किया गया।

मुख्य महाप्रबंधक, नाबार्ड द्वारा उक्त मामला अपने प्रधान कार्यालय को Take up किये जाने से अवगत करवाते हुए एक सप्ताह में सभी फॉर्मेट उपलब्ध करवाने हेतु आश्वस्त किया गया।

सदन को सूचित किया गया कि माननीय मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में दिनांक 04.11.2015 को भामाशाह, वित्तीय साक्षरता, बैंकिंग कवरेज के विस्तार और वृद्धि के बारे में प्रगति और कार्य योजना का आंकलन करने के लिए बैंकिंग सहयोगियों के साथ समीक्षा बैठक की गयी थी। बैठक के दौरान निम्न बिंदु कार्यवाही हेतु उभरकर आयें

- अगले वित्तीय वर्ष **2016-17** में 1000 नई शाखाएं खोलने का लक्ष्य
- प्रत्येक ग्राम पंचायत में एटीएम की स्थापना
- को-ब्रांडेड भामाशाह रूपे कार्ड जारी करना
- रूपे कार्ड वितरण, एक्टिवेशन एवं रूपे कार्ड लेनदेन प्रभार के हटाने की मांग
- मुद्रा योजना के अंतर्गत ऋण प्राप्ति

संयोजक , एस.एल.बी.सी. ने सदस्य बैंकों से इस सम्बंध में उनके अभिमत से अवगत करवाने हेतु अनुरोध किया तथा सभी बैंकों से आगामी वित्तीय वर्ष 2016-17 हेतु शाखा विस्तार कार्यक्रम प्रस्तुत करने हेतु अनुरोध किया, शाखा विस्तार कार्यक्रम प्राप्त होने के पश्चात राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति आगामी वित्तीय वर्ष में खोले जाने वाली शाखाओं के बारे में राज्य सरकार को सूचित कर पायेगी ।

निदेशक, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार ने कहा कि ई-मित्र स्तर पर POS मशीनों से रूपे कार्ड लेनदेन पर वसूल किया जाने वाला प्रभार उचित प्रतीत नही होता हैं । उन्होने स्पष्ट किया कि ई-मित्र/बी.सी. केंद्रों पर किये जाने वाला लेनदेन नकदी आहरण (Cash Withdrawal) हेतु होता है, ना कि किसी खरीददारी करने हेतु (Mercantile Transaction), अतः रूपे कार्ड द्वारा ई-मित्र/बी.सी. केंद्रों पर POS मशीनों से लेनदेन पर कोई प्रभार नही लगाना चाहिए अर्थात रूपे कार्ड से ई-मित्र/बी.सी. केंद्रों पर किये गये लेनदेन Micro ATM की तरह ही समझे जाना चाहिए।

(कार्यवाही – सभी सदस्य बैंक)

एजेण्डा क्रमांक – 4:

फसल बीमा: **प्रतिनिधि, कृषि विभाग**, राजस्थान सरकार द्वारा सदन को अवगत करवाया गया कि रबी 2015-16 हेतु राज्य में 13 जिलें संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा स्कीम तथा 20 जिलें मौसम आधारित फसल बीमा स्कीम के कवर किये गये हैं तथा फसल बीमा से लाभांवित कृषकों की जानकारी तथा लाभांवित कृषकों की सूचि वेबसाईट पर अपलोड करनी होती है अतः प्रिमियम राशि भेजते समय, लाभांवित कृषकों की जानकारी भी सॉफ्ट प्रति में बीमा कम्पनियों को उपलब्ध करवाने हेतु अनुरोध हैं

प्रतिनिधि, कृषि विभाग, राजस्थान सरकार ने बैंको द्वारा जारी घोषणा पत्र में लिखित सूचना के समुचित भरा हुआ नही होने एवं समय पर प्रिमियम भुगतान नही होने पर विवाद उत्पन्न होने से अवगत करवाया ।

प्रतिनिधि, कृषि विभाग ने घोषणा पत्र में गलत मौसम केंद्र का नाम लिखने के कारण विभिन्न जिलों में कृषकों के क्लेम समायोजित होने के मामले लम्बित चलने से अवगत करवाया। साथ ही उन्होने जिला स्तर पर फसल बीमा से सम्बंधित कार्यशाला आयोजित किये जाने से सदन को अवगत करवाया

अध्यक्ष, बडौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक द्वारा अवगत करवाया गया कि मौसम केंद्र **(weather station)** अचानक बदल दिया जाता हैं अगर मौसम केंद्र **(weather station)** बदलना हो तो इसकी सूचना भी समयबद्ध देने हेतु अनुरोध किया । झालावाड में मौसम केंद्र **(weather station)** के अचानक बदलने के कारण बैंक को 47 लाख का नुकसान हुआ हैं साथ ही उन्होने बताया कि बैंक को पिछले तीन सालों से फसल बीमा कमीशन प्राप्त नही हुआ है जिसकी राशि रूपये 2.42 करोड बनती है तथा प्रतिनिधि, कृषि विभाग, राजस्थान सरकार से उक्त राशि मय ब्याज दिलवाने हेतु अनुरोध किया।

संयोजक, एस.एल.बी.सी. ने फसल बीमा में चाही गयी सूचनाओं से सम्बंधित एक Comprehensive Check List एस. एल. बी. सी. को भिजवाने हेतु संयुक्त सचिव, कृषि से अनुरोध किया ताकि सभी बैंको को तद्नुसार सूचित किया जा सकें।

मुख्य महाप्रबन्धक, नाबार्ड ने फसल बीमा को DCC मिटिंग में Regular Agenda के रूप में शामिल करने हेतु अनुरोध किया ।

(कार्यवाही –कृषि विभाग, राजस्थान सरकार एवं सभी सदस्य बैंक)

एजेण्डा क्रमांक – 5: Government Sponsored Schemes:

National Rural Livelihood Mission:

योजना के तहत 31254 SHGs गठित और सहयोजित (Co-opted) किए गये हैं तथा 25423 SHGs को बैंक लिंकेज व 5621SHGs को क्रेडिट लिंकेज किया गया है।

(Source Data : Rajeevika)

परियोजना निदेशक, राजीविका ने बताया कि उनके विभाग द्वारा 100 बैंक सखी 100 शाखाओं में प्रतिनियुक्त की गयी है जिसके बहुत ही आशाजनक परिणाम प्राप्त हुए है। साथ ही उन्होने स्वयं सहायता समूह बैंक लिंकेज एवं क्रेडिट लिंकेज में बडौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक तथा राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक द्वारा मिलने वाले सहयोग की सराहना की।

उन्होने बताया कि क्रेडिट लिंकेज हेतु केम्प आयोजित किये जायेगें तथा योजनान्तर्गत क्रेडिट लिंकेज की बेहतर मोनिटरिंग हेतु स्वंय सहायता समूहों के ऋण खाते के आवेदन फॉर्म में आवेदनकर्ता को पावती उपलब्ध करवाने की आवश्यकता दर्शाई जिससे कि आवेदन फॉर्म लम्बे समय तक शाखा स्तर पर लम्बित नही रह सकें।

प्रतिनिधि, राजीविका ने सेंट्रल बैंक ऑफ इण्डिया, इलाहाबाद बैंक व SBI की कुछ शाखाओं द्वारा SHG बैंक लिंकेज व क्रेडिट लिंकेज में सहयोग नही देने के सम्बंध में सदन को सूचित किया । उन्होने इन बैंकों के प्रतिनिधियों से इस सम्बन्ध में सम्बन्धित शाखाओं को निर्देशित करने हेतु अनुरोध किया एवं SHG को First Loan Amt राशि 50,000 से बढाकर रूपये 1,00,000 करने हेतु अनुरोध किया

(कार्यवाही – सेंट्रल बैंक ऑफ इण्डिया, इलाहाबाद बैंक व SBI)

संयोजक, एस.एल.बी.सी. ने सम्बन्धित शाखाओं की सूची प्रेषित करने का अनुरोध किया ताकि नियंत्रक बैंको द्वारा सम्बन्धित शाखाओं को निर्देशित किया जा सकें।

महाप्रबंधक, नाबार्ड ने राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद द्वारा स्वयं सहायता समूह हेतु किये जा रहे कार्यों की सराहना करते हुए बताया कि नाबार्ड भी स्वयं सहायता समूह कार्यक्रम में काफी कार्य एवं सहयोग कर रहा हैं उन्होने निष्क्रिय/Dormant स्वयं सहायता समूहों के एक्टिवेशन हेतु नाबार्ड द्वारा दी जाने वाली वित्तीय सहायता योजनासे सदन को अवगत करवाया साथ ही उन्होने सूचित किया कि नाबार्ड द्वारा अपने DDMs को अग्रणी जिला प्रबंधक एवं DPMs के सहयोग से प्रत्येक जिले में जिला स्तरीय स्वयं सहायता समूह जागरूकता एवं रणनीति बैठक आयोजित करने हेतु निर्देशित किया गया है।

(कार्यवाही – सभी सदस्य बैंक)

National Urban Livelihood Mission (NULM):

वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए राज्य हेतु योजनान्तर्गत 10,000 (व्यक्तिगत लाभार्थी) व 200 (स्वंय सहायता समूह) के लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं।

सम्बन्धित विभाग द्वारा 6387 आवेदन पत्र बैंको को भिजवाये गये, जिसके सापेक्ष 781 मामलों में स्वीकृति प्रदान की जाकर 339 मामलों में वितरण किया गया।

महाप्रबन्धक, भारतीय रिजर्व बैंक ने एस.एल.बी.सी. की NRLM की सब कमेटी बैठक में NULM को भी शामिल करने हेतु निर्देशित किया।

प्रतिनिधि, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन ने बताया कि आवेदन Task Force से Sponsor होकर जाती है फिर भी योजनान्तर्गत प्रगति कम है।

इस क्रम में **संयोजक, एस.एल.बी.सी.** ने लम्बित आवेदन पत्रों के शीघ्र निस्तारण तथा स्वीकृत मामलों में वितरण हेतु सदस्य बैंको से अनुरोध किया तथा NRLM की आगामी सब कमेटी बैठक में राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के प्रतिनिधि को शामिल करने हेतु आश्वास्त किया ।

(कार्यवाही – एस.एल.बी.सी.)

<u>प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (PMEGP)</u>

आयुक्त, उद्योग ने PMEGP आवेदनों की eTracking हेतु की Portal व्यवस्था होने के बारे में अवगत करवाया तथा KVIC प्रतिनिधि को PMEGP योजनांतर्गत प्रगति की समीक्षा eTracking मॉडयूल के माध्यम से ही किये जाने हेतु निर्देशित किया एवं सम्बंधित विभाग को सभी स्वीकृत मामलों की स्थिति पोर्टल पर अद्यतन करने हेतु पाबन्द किया।

योजना की प्रगति के सम्बंध में **प्रतिनिधि, KVIC** द्वारा अवगत करवाया गया कि लगभग 6000 आवेदन पत्र बैंकों को अग्रेषित किये गये है जिनमें से बैंकों द्वारा नवम्बर 2015 तक 1806 आवेदन (31.94 करोड मार्जिन मनी) स्वीकृत किये गये हैं।

अध्यक्ष, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति द्वारा बैंकों को PMEGP अंतर्गत आवेदनों की स्थिति यथा स्वीकृती, वितरण, ऋणी की अंशदान राशि एवं निरस्तीकरण (Rejection) इत्यादि से सम्बंधित सूचनाएं eTracking पोर्टल पर अद्यतन करने हेतु अनुरोध किया।

आयुक्त, उद्योग ने eTracking पोर्टल पर उपलब्ध डाटा को तथा वास्तविक डाटा से reconciliation करने हेतु सर्वप्रथम **जयपुर जिले** की सूचनाओं को अद्यतन जैसे "बैको को अग्रेषित, बैंको द्वारा स्वीकृत, वितरित, रद्द एवं बैंको के पास Pending इत्यादि" करने हेतु निर्देशित किया।

अध्यक्ष, एस.एल.बी.सी. ने लम्बित स्वीकृत मामलों में आवेदन पत्रों के शीघ्र निस्तारण तथा स्वीकृत मामलों में 31.12.2015 तक वितरण हेतु सदस्य बैंको से अनुरोध किया ।

इस क्रम में **संयोजक, एस.एल.बी.सी.** ने लम्बित आवेदन पत्रों की बैंकवार सूची एस.एल.बी.सी. को भिजवाने हेतु अनुरोध किया जिससे कि लम्बित आवेदनो का शीघ्र निस्तारण करवाया जा सकें तथा स्वीकृत मामलों की पावती देने हेतु बैंको से अनुरोध किया।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में eTracking सिस्टम के क्रियांवयन हेतु राज्य में कार्यरत दोनो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को NEFT की स्वतंत्र सदस्यता प्राप्त करने तथा प्रत्येक शाखा को अलग IFSC कोड प्रदान करने हेतु भारतीय रिजर्व बैंक की ग्रामीण बैंकों हेतु आयोजित 39वी Empowered Committee मिटिंग में लिए गये निर्णय से अवगत करवाया गया इस सम्बंध में संयोजक एस.एल.बी.सी. ने बताया कि बडौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की बोर्ड मिटिंग के दौरान ग्रामीण बैंक द्वारा अपने प्रायोजक बैंक के माध्यम से उक्त सदस्यता लेने हेतु अनुरोध किया गया है।

इस सम्बंध में क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिजर्व बैंक ने 31.12.2015 आयोजित की जाने वाली Empowered Committee मिटिंग के दौरान इस मुद्दे की सम्भावनाओं की जांच के लिए चर्चा में शामिल करने हेतु अवगत करवाया

उपमहाप्रबंधक, बैंक ऑफ बडौदा द्वारा सरकार प्रायोजित योजनांतर्गत सभी नोडल विभागों से मासिक pendency की सूचना एस.एल.बी.सी. को उपलब्ध करवाने हेतु अनुरोध किया गया ताकि एस.एल.बी.सी. द्वारा सम्बंधित बैंकों को लम्बित आवेदनों पर कार्यवाही करने हेतु अनुरोध किया जा सकें।

(कार्यवाही – सभी सदस्य बैंक)

एजेण्डा क्रमांक – 6:

Rural Self Employment Training Institute (RSETI) and Financial Literacy & Credit Counseling Centers (FLCC):

Rural Self Employment Training Institute (RSETI):

प्रतिनिधि, ग्रामीण विकास ने भूमि आवंटन से जुडे लम्बित मामलों पर आज सचिव, ग्रामीण विकास की मुख्य सचिव के साथ बैठक में चर्चा होने से अवगत करवाया।

संयोजक एस.एल.बी.सी. ने भूमि आवंटन से जुडे लम्बित मामलों मे शीघ्र भूमि आवंटित करने हेतु राज्य सरकार से अनुरोध किया ।

राज्य निदेशक, आर-सेटी द्वारा सदन को आर-सेटी द्वारा वित्तीय वर्ष 2015-16 में लक्ष्यों के सापेक्ष सितम्बर माह तक किये गये कार्य की प्रगति से अवगत करवाया गया तथा 7 आर-सेटी में प्रशिक्षण के लक्ष्यों के सापेक्ष उपलब्धि 50% से कम होने तथा 10 आर- सेटी द्वारा क्रेडिट लिंकेज के कार्य में सहभागिता नही लेने से सूचित किया गया

इसी क्रम में उन्होने आर-सेटी द्वारा अग्रणी जिला कार्यालय के माध्यम से शाखाओं को अग्रेषित मुद्रा योजना के आवेदनों का शाखास्तर पर लम्बित होने से सूचित किया ।

संयोजक, एस.एल.बी.सी.ने आर-सेटी जिनमें प्रशिक्षण के लक्ष्यों की प्राप्ति नही हुई है, आर-सेटी क्रेडिट लिंकेज के कार्य में सहभागिता नही ले रही है एवं शाखास्तर पर स्वीकृत/ वितरण हेतु लम्बित आवेदनों की सूची को एस.एल.बी.सी. को भेजने हेतु अनुरोध किया ताकि सम्बंधित बैंकों से उचित कार्यवाही हेतु अनुरोध किया जा सकें।

राज्य निदेशक, आर-सेटी द्वारा सदन को मनरेगा कामगारों हेतु ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रोजेक्ट लाइफ कार्यक्रम क्रियांवित किये जाने के बारे में अवगत करवाया गया तथा आर-सेटी प्रायोजक बैंकों से इस सम्बंध में सभी शाखाओं को समुचित दिशानिर्देश जारी करने हेतु अनुरोध किया ।

(कार्यवाही –RSETI सदस्य बैंक)

सदन को चालू वित्तीय वर्ष में वित्तीय साक्षरता केंद्रों द्वारा किये गये कार्यों से भी अवगत करवाया गया।

एजेण्डा क्रमांक – 9: वसुली - Recovery:

सदस्य सचिव, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ने सर्वप्रथम राज्य में कार्यरत बैंकों को राज्य का NPA स्तर राष्ट्रीय NPA स्तर से कम होने पर धन्यवाद ज्ञापित किया तथा अवगत कराया कि अदालती विचाराधीन मामलों एवं पूर्व मुकदमेबाजी दोनों प्रकार के मामलो मे ही लोकअदालत आयोजित किये जाने से सूचित किया।

तत्पश्चात उन्होने सदन के समक्ष लोक अदालत के माध्यम से वसूली की प्रक्रिया को गति प्रदान करने एवं खातो को पुनः मानक (standard) स्तर प्रदान करने के बारे में निम्नलिखित युक्तियां बतायी

- सर्वप्रथम लोक अदालत के दायरे में आने वाले **समायोजन योग्य** खातों की पहचान कर, उन खातों पर अधिक ध्यान देवें तथा बैंक वकीलों के माध्यम से समायोजन योग्य खातों में सम्बंधित न्यायालय/ लोक अदालत में सूची प्रदान कर सम्बन्धित न्यायलय/लोक अदालत से नोटिस की तामिल करवायें ।
- लोक अदालतों मे ***नजारा अनुभाग*** नोटिस की तामिल करवाता हैं डाक से नोटिस की तामिल का भी प्रारूप बना रखा है तथा डाक से भी नोटिस तामिल कराते हैं, अगर बैंक अपने बी.सी. या अन्य किसी माध्यम से नोटिस तामिल करवाना चाहता है तो ***नजारा अनुभाग*** *दस्ती भी उपलब्ध करवाता हैं*।
- अधिक बकाया राशि वाले मामलों को प्राथमिकता देवें ।
- बैंक के प्राधिकारी सम्बन्धित ऋणी से Pre Counseling करें।

उन्होने जान बूझकर ऋण न चुकानेवाले खाताधारकों के सम्बन्ध में सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत सिविल जेल होने से अवगत करवाया, इसके लिए वर्तमान में ऋणी के पास उपलब्ध आय के स्रोतों के सबूत न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुत करने पडतें हैं अतः जान बूझकर ऋण न चुकानेवाले खाताधारकों के विरूद्ध कार्यवाही करने हेतु अनुरोध किया ।

लोकअदालतों से सम्बंधित शिकायतों हेतु बैंक प्रतिनिधि जिला न्यायधीश से मिलने तथा टोलफ्री न 15100 पर सहायता लेने हेतु सम्पर्क कर सकते हैं ।

साथ ही सभी बैंकों से लोकअदालतों के माध्यम से वसूली हेतु सम्बंधित खातों का Data Base तैयार कर प्रेषित करने हेतु अनुरोध किया । राजस्थान में प्रत्येक माह के आखरी सोमवार को लोक अदालतों का आयोजन किये जाने के बारे में अवगत करवाया ।

संयोजक एस.एल.बी.सी. ने सभी बैंकों से अनुरोध किया कि वसूली हेतु सम्बंधित खातों का Data Base तैयार करके अग्रिम कार्यवाही हेतु राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण को सूची उपलब्ध करवाने हेतु कहा तथा माह के अन्तिम सोमवार को

लगने वाली लोकअदालतों एवं समय-समय पर लगने वाली नेशनल लोकअदालतों के माध्यम से वसूली करने पर बल दिया गया एवं लोक अदालतों के प्रचार प्रसार पर बल दिया ।

(कार्यवाही – सभी सदस्य बैंक)

एजेण्डा क्रमांक – 11

दलित / आदिवासी उद्यमी को उद्यम की शुरूवात करने हेतु ऋण : प्रतिनिधि, नाबार्ड ने अवगत करवाया कि योजना के तहत दलित / आदिवासी उद्यमी को उद्यम **स्टार्ट अप** के लिए ऋण प्रदान करने के लिए अनुरोध किया तथा साथ ही महिलाओं को उद्यम लगाने में सहयोग करने हेतु अनुरोध किया । वित्तीय सेवाएं विभाग द्वारा सभी बैंकों एवं नाबार्ड द्वारा RRB व Co-op. बैंको को समुचित दिशा-निर्देश जारी कर दिये जाने हेतु सूचित किया।

संयोजक, एस.एल.बी.सी. ने बताया कि इस योजना को मुद्रा योजना एवं भामाशाह योजना के अन्तर्गत कवर किया जा सकता हैं।

प्रतिनिधि, RAVIL द्वारा सदन को अवगत करवाया गया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत राज्य के 9 शहरों में 13 योजनाएं लागू हो चुकी हैं जिसमें रूपये 6 लाख तक के ऋण की व्यवस्था है।

संयोजक, एस.एल.बी.सी. द्वारा सम्बंधित प्रतिनिधि से योजना की जानकारी उपलब्ध करवाने हेतु अनुरोध किया जिससे कि एस.एल.बी.सी. स्तर से सभी बैंकों को योजना की जानकारी उपलब्ध करवायी जा सकें ।

महाप्रबंधक, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर तथा यूको बैंक के अग्रणी जिला कार्यालयों में समुचित स्टाफ नही होने की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करते हुए उक्त बैंकों से अग्रणी जिला कार्यालयों में समुचित स्टाफ उपलब्ध करवाने हेतु निर्देशित किया गया। उन्होने बताया प्रिंटिग सामग्री एवं बैंक फोर्म इत्यादि द्विभाषी होने चाहियें। साथ ही भारतीय स्टेट बैंक के अधिकारियों/ कर्मचारियों द्वारा DCC / DLRC बैठकों में सहभागिता नही किये जाने के मुद्दे से सूचित करते हुए मुख्य महाप्रवन्धक भारतीय स्टेट बैंक से इस बाबत सभी शाखाओं को समुचित दिशा-निर्देश जारी करने हेतु अनुरोध किया।

(कार्यवाही – स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर तथा यूको बैंक)

बैठक के **अध्यक्ष एवं बैंक ऑफ बडौदा के कार्यकारी निदेशक** द्वारा सभी बैंकों व विभागों से अनुरोध किया गया कि किसी भी मुद्दे के समाधान हेतु एस.एल.बी.सी. मिटिंग आयोजन की प्रतीक्षा नही किये जाकर एस.एल.बी.सी. से अलग से सम्पर्क कर किया जा सकता है, जिससे कि तिमाही आधार पर आयोजित एस.एल.बी.सी. बैठकों के दौरान विकासपरक एवं महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर सारगामी चर्चा की जा सके।

बैठक का समापन उपमहाप्रबन्धक, बैंक ऑफ बडौदा द्वारा सभी सदस्यों को धन्यवाद ज्ञापित कर किया गया ।

****